वाणिज्य में ऐच्छिक पाठ्यक्रम
ई.सी.ओ-11
आयकर के मूलतत्व

परिशिष्ट 2020
कर निर्धारण वर्ष 2020-2021

प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढी, नई दिल्ली-110 068

प्रिय छात्र/छात्राओ,

आप जानते हैं कि फरवरी की अंतिम तिथि को वित्त विधेयक (Finance Bill) संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसके फलस्वरूप आयकर अधिनियम में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। आयकर के छात्रों को ज्ञात होना चाहिए कि ये परिवर्तन कौन कौन से हैं और आयकर अधिनियम को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। आपके पास जो पाठ्य सामग्री भेजी गई है वह कर निर्धारण वर्ष (AY) 2008-2009 से संबंधित हैं। परन्तु आपको तो **कर निर्धारण वर्ष 2020-2021** के संबंध में पढ़ना है। यह पुस्तिका पाठ्यसामग्री का **परिशिष्ट** (Appendix) है और इसमें कर **निर्धारण वर्ष 2020-2021** तक आयकर अधिनियम में किए गए संशोधनों को दिया गया है। इस परिशिष्ट के दो भाग हैं। भाग-I में मूलपाठ में हुए परिवर्तनों को दिया गया है तथा भाग-II में बोध प्रश्नों **एवं गत वर्ष 2019-2020** में किए जा रहे परिवर्तनों को दिया गया है। यह परिशिष्ट **कर निर्धारण 2020-2021** से संबंधित है तथा उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो **जून 2020** या **दिसंबर 2020** में होने वाली परीक्षाओं में बैठेंगे। जिन छात्रों ने इस वर्ष इस पाठ्यक्रम को लिया है लेकिन वे **जून 2020** या **दिसम्बर 2020** की परीक्षा नहीं दे पाते हैं, तो वे जिस वर्ष परीक्षा में बैठेंगे, उसी वर्ष से संबंधित परिशिष्ट उन्हें विश्वविद्यालय से लेना होगा।

वाणिज्य में ऐच्छिक पाठ्यक्रम
ई.सी.ओ.-11
आयकर के मूलतत्व

यह परिशिष्ट **कर निर्धारण वर्ष (AY) 2020-21** से संबंधित है। इसका उपयोग उन छात्र/छात्राओं को करना है जो **जून 2020** या **दिसंबर 2020** की परीक्षा में बैठेंगे। परन्तु जिन छात्र/छात्राओं ने इस वर्ष पाठ्यक्रम को लिया है, लेकिन वे **जून 2020** या **दिसंबर 2020** की परीक्षा नहीं दे पाते हैं तो उन्हें उस वर्ष से संबंधित परिशिष्ट को विश्वविद्यालय से मंगाकर पढ़ना होगा जिस वर्ष में वह परीक्षा में बैठते हैं।

भाग 1

वित्त विधेयक 2019 के द्वारा आयकर अधिनियम 1961 में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं जो कर निर्धारण वर्ष 2020-2021 पर लागू होंगे।

सभी बोध प्रश्नों, स्वपरख–प्रश्नों और उदाहरणों के लिए **कर निर्धारण वर्ष (AY) 2020-2021** और **गत वर्ष (PY) 2019-2020** होंगे। अतः बोध प्रश्नों, स्वपरख प्रश्नों और उदाहरणों में दिए वर्षों में तदनुसार परिवर्तन करने होंगे।

खण्ड 1

1) खण्ड 1 पृष्ठ 8 में आय की परिभाषा के सम्बन्ध में संशोधन कर निर्धारण वर्ष 2013-14

आय की परिभाषा के सम्बन्ध में धारा 2(24) में उप–वाक्यांश (xvi) जोड़ा गया है जिसके अनुसार अंशो के उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशो के निर्गमन से प्राप्त प्रतिफल कम्पनी की आय माना जायेगा। उदाहरण स्वरूप अंश प्रब्याजि को कम्पनी की आय समझा जायेगा।

2) खण्ड 1 पृष्ठ 24 में कृषि आय में धारा 2(1A) में संशोधन खण्ड 1 पृष्ठ 24 कर निर्धारण वर्ष 2014-2015 से लागू।

आकाशीय मार्ग से नापने पर निम्न दशाओं में आने वाले क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र नहीं माना जायेगा–

i) नगर पालिका की सीमाओं से 2 किलो मीटर, नगरपालिका की जनसंख्या 10,000 से अधिक किन्तु 1 लाख तक हो।

ii) नगर पालिका की सीमाओं से 6 किलो मीटर, नगर पालिका की जनसंख्या 1 लाख से अधिक किन्तु 10 लाख तक हो।

iii) नगर पालिका की सीमाओं से 8 किलो मीटर, नगर पालिका की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो।

3) आकस्मिक आय पर कर दायित्व खण्ड 1, पृष्ठ 30

आकास्मिक आय पर कर दायित्व @ 3% है तथा आकास्मिक हानि को किसी अन्य आय की पूर्ति से आगे नही ले जाया जा सकता है। आकास्मिक आय पर हुए खर्चो को किसी अन्य आय से भी समायोजित नही कर सकते है।

4) खण्ड 1, पृष्ठ 62, कर मुक्त आय की धारा 10 में संशोधन शामिल करें।

i) स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र में स्थापित उद्योगों एवं उपक्रमों को कर मुक्ति धारा (10A)
ii) 31 मार्च 2002 के बाद किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन प्रारम्भ करने वाले उपक्रमों के लिए नया प्रावधान। (कर निर्धारण वर्ष 2003-04 से प्रभावी) धारा 10A (1A)

5) कर मुक्ते आयों में धारा 10(26AAB) खण्ड-1 पृष्ठ संख्या 64 में कर निर्धारण वर्ष 2009-2010 से शामिल करें।

i) कृषि उत्पाद के विपणन को नियमित करने के उद्देश्य से किसी कृषि उत्पाद विपणन समिति या बोर्ड की आय कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से कर मुक्त होगी।

ii) धारा 10A और धारा 10B में संशोधन इन धाराओं में कटौतियाँ कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से बढ़ाकर कर निर्धारण वर्ष 2010-11 तक स्वीकृत किया गया है।

6) खण्ड 1 पृष्ठ 62 मे करमुक्त आय के सम्बन्ध मे संशोधन कर निर्धारण वर्ष 2013–14 से शामिल करें।
i) कर–निर्धारण वर्ष 2013–14 से जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम के सम्बन्ध में धारा 10 (10D) में संशोधन किया गया है जिसके अन्तर्गत 1–4–2012 को या उसके बाद निर्गमित की गई जीवन बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम पॉलिसी की राशि के 10% के बराबर कर–मुक्त रहेगा। (पहले दर 20% थी)

ii) कर–निर्धारण वर्ष 2013–14 से प्रसार भारती (भारती प्रसारण निगम) की कोई भी आय कर–मुक्त होगी।

7) खण्ड 1 पृष्ठ 64 मे किसी प्रतिभूतिकरण टस्ट की प्रतिभूतिकरण गतिविधियों से आय – धारा 10 (23 DA) कर निर्धारण वर्ष 2014–15 से लागू।
ऐसे किसी भी ट्रस्ट की आय कर निर्धारण वर्ष 2014–15 से करमुक्त होगी।

8) खण्ड 1 पृष्ठ 64 मे निवेशक संरक्षक कोष की आय जिसे किसी डिपोजिटरी से अंशदानों के रूप में प्राप्त किया हो धारा 10 (23 ED) कर निर्धारण वर्ष 2014–15 से लागू
ऐसी आय कर निर्धारण वर्ष 2014–15 से करमुक्त होगी।

खण्ड 2

9) खण्ड 2 पृष्ठ 19 एवं 20 में 24.05.2010 को या इसके पश्चात सेवा निवृत कर्मचारी के लिए ग्रेच्युइटी की अधिकतम राशि 3,50,000रु की जगह 10 लाख रू कर दी गई है।

10) खण्ड 2 पृष्ठ 40 में सीमान्त लाभों की कर देयता में भाग 'स' को कर निर्धारण वर्ष 2010–11 से समाप्त कर दिया गया है।

11) खण्ड 2 पृष्ठ 56 में ब्याज मुक्त अथवा रियायती ऋण की दरें जो कि स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित समय–समय पर परिवर्तित की जाती है।

खण्ड 3

12) खण्ड 3 में पृष्ठ 36 सहकारी बैंक के व्यावसायिक पुनर्संगठन के सम्बन्ध में संशोधन धारा 47 से निम्नलिखित पंक्तियाँ शामिल करें। (कर निर्धारण वर्ष 2008-09 से प्रभावी)

जब किसी व्यवसाय का पुनर्संगठन (अर्थात् संविलयन या अविलय) किसी वित्त वर्ष में हो चुका हो तो निम्नलिखित व्यवहारों को हस्तान्तरण नहीं माना जाएगा और ऐसे मामले में कोई भी पूँजीगत लाभ नहीं माना जाएगा।

i) व्यावसायिक पुनर्गठन में किसी भी पूंजीगत सम्पत्ति का पूर्व के सहकारी बैंक द्वारा पश्चात्वर्ती सहकारी बैंक को हस्तान्तरण,

ii) व्यावसायिक पुनर्संगठन के किसी भी अंशधारी का पूंजीगत सम्पत्ति का पूर्व सहाकरी बैंक में अंश या उसके पास के अंशों का हस्तान्तरण, यदि यह हस्तान्तरण उसे पश्चातवर्ती सहकारी बैंक में किसी अंश के अबंटन के प्रतिफलस्वरूप किए गए हों।

13) खण्ड 3, पृष्ठ 50 में व्यावसायिक पुर्नसंगठन की दशा में संविलियन/परिणामी कम्पनी के लिए हस्तान्तरित पूंजीगत सम्पत्ति की लागत धारा 49(1)(VICa) एवं (VICb) को शामिल करें। (कर निर्धारण वर्ष 2008-09 से प्रभावी)

धारा 49(1) को संशोधित कर दिया गया है जिसके अनुसार पूर्व सहकारी बैंक द्वारा पूंजीगत सम्पत्ति का पशाचतवर्ती सहकारी बैंक को हस्तान्तरण करने पर उत्तराधिकारी सहकारी बैंक कम्पनी के लिए ऐसी सम्पत्ति की लागत पूर्व स्वामी की लागत ही मानी जाएगी (अर्थात् पूर्व वाली कम्पनी)

14) खण्ड 3 पृष्ठ 34 में अल्पकालीन पूंजीलाभ में संशोधन को पढ़ें। (कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से प्रभावी)

अल्पकालीन पूंजी लाभ पर आयकर की सामान्य दरों से कर लगाया जाता है अल्पकालीन पूंजी लाभ जो धारा 111A के अन्तर्गत आता है उस पर 10% की दर की जगह 15% की दर से कर लगाया जायेगा।

15) खण्ड 3 पृष्ठ 37 मे पूँजीगत लाभों के सम्बन्ध मे संशोधन कर निर्धारण वर्ष 2013–14 से शामिल करें।

i) कर निर्धारण वर्ष 2013–14 से सम्पति के उचित बाजार मूल्य के आधार पर प्रतिफल की राशि निश्चित करने के लिए आयकर अधिनियम में एक नई धारा 50D जोड़ी गई है जिसके अनुसार यदि पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर उसके प्रतिफल की राशि ज्ञात न हो सके या निर्धारित नहीं की जा सके तो इस दशा में कर योग्य पूँजी लाभ ज्ञात करने के

लिए उक्त सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि पर प्रचलित उचित बाजार मूल्य का ही प्रतिफल माना जायेगा।

ii) कर निर्धारण वर्ष 2013–14 से धारा 54B को भी संशोधित किया गया है जिसके अन्तर्गत हिन्दू अविभाजित परिवार को भी इस धारा का लाभ प्राप्त हो सकेगा। पहले यह लाभ केवल व्यक्ति (Individual) को ही प्राप्त था।

iii) कर निर्धारण वर्ष 2013–14 से आयकर अधिनियम में एक नई धारा 54GB भी शामिल की गयी है जिसके अन्तर्गत यदि एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार दीर्घकालीन रिहायशी पूँजी सम्पत्ति हस्तान्तरित करता है और उसके शुद्ध प्रतिफल को किसी मान्य कम्पनी के साधारण अंशों में विनियोजित करता है तो उसे इस धारा के अन्तर्गत छूट प्राप्त होगी। यदि विनियोग की राशि शुद्ध प्रतिफल से कम है, तो आनुपातिक छूट मिलेगी।

16) खण्ड 3 पृष्ठ 52 वर्ष 2009–10 तथा वर्ष 2010–11 और 2011–12 के लिए तथा लागत स्फीति सूचकांक 632, 711, 2012–13 के लिए तथा लागत स्फीति सूचकांक 852 है। तथा 2013–14 के लिए लागत स्फीति सूचकांक 939 है। 2014-15, 1024, 137, 148, 167, 200, 220, 254, 264, 272, 280 और 2019-20 के लिए लागत स्फीति सूचकांक 289 हैं

17) खण्ड 3 पृष्ठ 52 के 9.8 वर्ष 2012–13 में धारा 111A तथा धारा 112 के अन्तर्गत आने वाले अल्पकालीन पूंजी लाभ पर 15% तथा दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर 20% आयकर दरे लागू होगी।

18) खण्ड 3 पृष्ठ 63 अन्य साधनों से आय के सम्बन्ध में संशोधन कर निर्धारण वर्ष 2013–14 से लागू।

कर–निर्धारण वर्ष 2013–14 से आयकर अधिनियम में धारा 56(2)(vii b) को शामिल किया गया है जिसके अनुसार उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर अंश निर्गमित करने पर उनसे प्राप्त अंश प्रीमियम की राशि को **"अन्य साधनों से आय"** के शीर्षक के अन्तर्गत कर–योग्य आय माना जायेगा।

19) खण्ड 3 पृष्ठ 66 के 10.5 में धारा 115 (BB) के अन्तर्गत लाटरी वर्ग पहेली ताश के खेल, शर्ते की जीत पर आयकर की विशेष दर 30% होगी।

खण्ड 4

20) खण्ड 4 पृष्ठ 7 में पेंशन फंड में किए गए अंशदान के सम्बन्ध में कटौती में परिवर्तन (धारा 80ccc) की निम्नलिखित पंक्ति के अनुसार पढ़ें। (कर निर्धारण वर्ष 2007-08 से प्रभावी)

व्यक्ति कर दाता द्वारा दिए गए अंशदान की रकम अथवा 100,000 रु. (दोनों में जो भी रकम कम हो) की कटौती स्वीकृत की जाएगी।

21) खण्ड 4 पृष्ठ 7 में चिकित्सा बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में कटौती धारा 80D में परिवर्तन की निम्नलिखित पंक्ति के अनुसार पढ़ें। (कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से प्रभावी)

i) स्वयं के अपने जीवन साथी के एवं आश्रित बच्चों के स्वास्थ का बीमा प्रीमियम चुकाने पर अधिकतम कटौती की रकम 15,000 रु. अथवा वास्तविक प्रीमियम (दोनों में कम रकम)।

ii) वरिष्ठ नागरिक की दशा में कटौती की अधिकतम रकम 20,000 रु. तक होगी।

22) खण्ड 4 पृष्ठ 7 असमर्थता से युक्त किसी आश्रित व्यक्ति के अनुरक्षण के संबंध में कटौती धारा 80D

गंभीर असमर्थता के लिए 100,000 रु. तक बढ़ा दिया है

23) खंण्ड 4 पृष्ठ 7 मे शामिल करे धारा 80CCE की कटौती।

ठसके अन्तर्गत धारा 80C, 80CCC तथा 80CCD की कटौती प्रदान की जाती है। जिसकी अधिकतम सीमा रू 100,000 निर्धारित की गई है। इसमें नियोक्ता एंव कर्मचारी दोनो का अंशदान शामिल है।

24) खण्ड 4 पृष्ठ 7 शामिल करे दीर्घकालीन अवसंरचना बॉण्डस मे अशंदान के सम्बन्ध मे धारा (80CCF)

यह छूट एक व्यक्ति तथा हिन्दू अविभाजित परिवार को दी जा सकती हैं। गत वर्ष मे केन्द्रीय सरकार द्वाार अभिसूचित दीर्घकलीन अवसंचना बॉण्डस मे गत वर्ष मे राशि जमा करता हैं तो बॉण्डस मे विनियोजित की गई वास्तविक राशि या 20,000 जो देने मे कम हो धारा CCF की छूट प्रदान की जायेगी। यह छूट उपरोक्त 80C के रू 100,000 की छूट के अतिरिक्त होगी।

25) खण्ड 4 पृष्ठ 7 मे निवेश के लिए कटौती धारा 80CCG कर निर्धारण वर्ष 2014–15 मे शामिल करे। समता बचत योजना में निवेश के लिये कटौती

इस कटौती की अनुमति केवल व्यक्ति करदाता को है जो भारत में निवासी हो यह कटौती तभी प्राप्त होगी जब करदाता की सकल कुल आय 12,00,000 से अधिक न हो।

26) खण्ड 4 पृष्ठ 7 में सकल कुल आय के सम्बन्ध में संशोधन कर निर्धारण वर्ष 2013–14 से शामिल करें।

i) कर निर्धारण वर्ष 2013–14 से धारा 80CCG के अन्तर्गत भारत में निवासी व्यक्ति को सूचिकृत साधारण अंशो में गत वर्ष में विनियोग करने पर विनियोग की गई राशि के 50 प्रतिशत के बराबर या रू 25,000 जो दोनों में कम हो, की कटौती दी जायेगी। यह कटौती तभी स्वीकृत होगी जब करदाता की सकल कुल आय रू 10,00,000 से अधिक नहीं हो।

27) खण्ड 4 पृष्ठ 7 में धारा 80D में संशोधन कर निर्धारण वर्ष 2013–14 से शामिल करे।

i) कर निर्धारण वर्ष 2013–14 से धारा 80D को संशोधित किया गया हैं जिसके यदि करदाता अपने जीवनसाथी, आश्रित बच्चे एवं माता–पिता के स्वास्थ की निवारक जॉच–पड़ताल पर गत वर्ष में कोई राशि व्यय करता है तो उसे इसके लिए रू 5,000 तक की कटौती स्वीकृत होगी। निवारक जॉच–पड़ताल पर किये गये इसके लिए रू 5,000 की कटौती राशि को रू 15,000 / रू 20,000 में शामिल किया जायेगा।

ii) कर निर्धारण वर्ष 2013–14 से धारा 80D, 80DDB, 197 A (IC) के लाभों को प्राप्त करने के लिए एक वरिष्ट नागरिक की आयु सीमा 60 वर्ष या उससे अधिक निश्चित की गई है।

iii) कर निर्धारण वर्ष 2013–14 से आयकर अधिनियम में धारा 80 G(5D) और धारा 80GGA(2A) को शामिल किया गया है जिनके अन्तर्गत यदि कोई दान रू 10,000 से अधिक है और नकद में दिया गया है तो इसके लिए कोई कटौती नहीं दी जायेगी।

28) खण्ड 4 पृष्ठ 8 में उच्च शिक्षा के लिये, लिये गये ऋण पर ब्याज की कटौती धारा 80E में शामिल करें।

धारा 80E के अनुसार इसे संषोधित किया गया है तथा सम्बधित के अर्थ को बढ़ाया गया है। एक व्यक्ति के सम्बन्ध में सम्बंधित व्यक्ति का जीवन साथी तथा बच्चे अथवा छात्र हैं। जिनका व्यक्ति कानूनी संरक्षक हैं।

29) खण्ड 4 पृष्ठ 8 मे आवासीय मकान के ऋण के ब्याज की कटौती धारा (80EE) कर निर्धारण वर्ष 2014–15 से शामिल करे।

इस धारा में कटौती के लिए अनिवार्य शर्ते निम्नलिखित हैं।

i) करदाता व्यक्ति हैं।
ii) वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान ऋण स्वीकृत हो।
iii) आवासीय मकान का मूल्य रू 40 लाख से अधिक न हो।
iv) किसी बैंक या आवासीय वित्त संस्था से ऋण लिया हो।
v) ऋण के स्वीकृत होने की तिथि पर करदाता किसी मकान का स्वामी न हो।
vi) आवासीय मकान के लिए ऋण की राशि रू 25 लाख से अधिक न हो।

यदि ब्याज की राशि रू 1 लाख या कम है तो कर निर्धारण वर्ष 2014–15 अधिकतम रू 1 लाख में कटौती मिलेगी किन्तु यदि ब्याज की राशि गत वर्ष (2014–15) में रू 1 लाख से कम है तो शेष कटौती कर निर्धारण वर्ष 2015–16 में प्राप्त होगी।

30) खण्ड 4, पृष्ठ 9 मे राष्ट्रीय बाल कोष को दान [धारा 80G कर निर्धारण वर्ष 2014–15 से लागू] राष्ट्रीय बाल कोष में कर निर्धारण वर्ष 2014–15 से किये गये दान की 100% कटौती प्राप्त होगी।

31) खण्ड 4 पृष्ठ 12 में राजनैतिक दलो को अंशदान धारा 80GGB तथा 80GGC शमिल करें।

कर निर्धारण वर्ष 2011–12 मे राजनैतिक दलो को दिये गये अंशदान के अतिरिक्त धारा 80GGB तथा 80GGC के अन्तर्गत 100% कटौति की छूट दी गई हैं। धारा 80GGB तथा 80GGC के लिए राजनैतिक दल से आशय ऐसे दल से हैं जिसका पंजीयन जनता के प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के अन्तर्गत किया गया है।

32) कर निर्धारन वर्ष 2013–14 मे बचत खाते में जमा पर ब्याज खण्ड 7 में शामिल करें।

कर निर्धारण वर्ष 2013–14 मे बचत खाते में जमा पर ब्याज की रू. 10,000 तक की राशी पर धारा 80 TTA के अन्तर्गत कटौती स्वीकृत होगी। यह बचत खाता ऐसी बैंक में हो जिस पर बैंकिग कम्पनीज नियन्त्र अधिनियम 1949 लागू होता हो या बैंकिंग व्यवसाय चलाने वाली सहकारी समिति

में हो या भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की धारा 2K में परिभाषित डाकघर में हो। यह कटौती व्यक्ति करदाता और हिन्दू अविभाजित परिवार दोनों को प्राप्त होगी।

33) खण्ड 4 पृष्ठ 18 शारिरिक रूप से अयोग्य (विकलांग) व्यक्ति के संबंध में कटौती धारा 80U
गंभीर असमर्थता के लिए 1,00,000 रू. तक बढ़ा दिया हैं

34) अग्रिम कर के भुगतान के सम्बन्ध में संशोधन–
कर–निर्धारण वर्ष 2013–14 से वरिष्ठ नागरिकों पर जिनकी आय व्यापार एवं पेशे से नही है, कार का भार कम करने के उद्देश्य से धारा 207 में उप धारा 2 को जोड़ा गया है जिसके अन्तर्गत ये वरिष्ठ नागरिक अग्रिम कर भुगतान करने के लिए दायी नहीं होंगे।

35) खण्ड 4 पृष्ठ 25 परिच्छेद 12.4a में सकल कुल आय की गणना में आयकर की दरें शामिल करें। (कर निर्धारण वर्ष 2017–2018)
गंभीर असमर्थता के लिए 1,00,000 रू. तक बढ़ा दिया हैं

(a) Senior Citizen (Male & Female (above 65 years and less than 80 years of age)

Upto Rs. 2,50,000	NIL
Above Rs. 2,50,000 upto Rs. 5,00,000	05%
Above Rs. 500,000 upto Rs. 10,00,000	20%
Above Rs. 10,00,000	30%

(b) For very senior citizen (Male and Female both 80 years or more of age) at any time during the Financial Year.

		Rate
Up to 300,000	Rs. 5,00,000	05%
Above 5,00,001 to	Rs. 10,00,000	20%
Above Rs. 10,00,000		30%

(a) Other Individuals [Except (a) and (b)]
(b)

		Tax Rate	**Tax Amount (Rs.)**
(i)	Up to Rs 2,50,000	Nil	Nil
(ii)	On Next Rs. 25,000 of Total Income	5%	12,500
(iii)	On Next Rs. 3,00,000 of Total Income of Rs. 10,000	20%	1,00,000
(iv)	Balance of Total Income (More than Rs. 10,0000)	30%	1,12,500

नोटः

(i) किन्तु उपरोक्त सभी पर 2% शिक्षा उपकर 1% माध्यमिक उच्च शिक्षा उपकर हटा लिया गया।

भाग -II

बोध प्रश्नों में परिवर्तन के लिए प्रविष्टि

छात्र/छात्राओ कर निर्धारण वर्ष 2018-2019 तक अधिनियम में किए गए संशोधनों के अनुसार बोध प्रश्नों तथा स्वपरख प्रश्नों के उत्तरों में परिवर्तन कर लें।

खण्ड 1

1) कोई परिवर्तन नहीं है।

खण्ड 2

2) इकाई 5 बोध प्रश्न (क) उप प्रश्न 5 (iii) असत्य

खण्ड 3

3) कोई परिवर्तन नहीं है।

खण्ड 4

4) इकाई 11 बोध प्रश्न 1 प्रश्न (अ) चिकित्सा बीमा प्रीमियम

5) इकाई 11 बोध प्रश्न 1 प्रश्न (स) में अंशदान की रकम अथवा 100,00 रु. (दोनों में जो भी रकम कम हो)

नोटः आपकी पाठ्य सामग्री के प्रत्येक खंड के अंत में आयकर विषय से संबंधित कुछ उपयोगी पुस्तकों का उल्लेख है।हमारी सलाह है कि विस्तृत जानकारी के लिए आप यह पुस्तकें जो कर **निर्धारण वर्ष 2020-2021** से संबंधित पढ सकते हैं।